भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1324
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

सीएफएसएल में लंबित मामले

†1324. श्री सौमित्र खानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), कोलकाता में मामलों की जांचें बड़ी संख्या में लंबित हैं और यदि हां, तो इतनी अधिक संख्या में लंबित मामलों के क्या कारण हैं;
(ख) उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार सीएफएसएल, कोलकाता में कितने मामले लंबित हैं और इस बैकलॉग को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सीएफएसएल, कोलकाता में किए गए अवसंरचना विकास का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इसमें और सुधार अथवा विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सीएफएसएल, कोलकाता में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की स्वीकृत और वर्तमान संख्या कितनी है और रिक्तियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.12.2024 तक केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सी.एफ.एस.एल.) कोलकाता में 1318 मामले लंबित हैं। सी.एफ.एस.एल. द्वारा मामलों का निपटान एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्राप्त प्रदर्शों की जांच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1324 दिनांक 11.02.2025

(ग) और (घ): कोलकाता के राजरहाट में अत्याधुनिक सी.एफ.एस.एल. की स्थापना की गई है। प्रयोगशाला को नवीनतम मशीनरी और उपकरणों के साथ उन्नत भी किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने सी.एफ.एस.एल. कोलकाता में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

(ङ) सी.एफ.एस.एल. कोलकाता में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 101 है और वर्तमान संख्या 64 है। सी.एफ.एस.एल. कोलकाता में जनशक्ति को पूरक बनाने के लिए योग्य फोरेंसिक विश्लेषकों/पेशेवरों को भी अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया, स्थापित और निर्धारित मानदंडों के अनुसार, एक सतत प्रक्रिया है।

*****